कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446-252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 806 / रेनुकूट / 15–26 दिनांक,रेनुकूट, 03-09- ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अंतर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0बी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षो हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या–2690/11–सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक–24.03.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 24.03.2022 द्वारा 14 बिन्दुओ पर इंगित की गयी कमियों का निराकरण कराते हुए प्रस्ताव की तीन प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए संस्तुति सहित निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–2690/11–सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक–24.03.2022 में इंगित की गयी कमियो का विवरण ।	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	इस बिन्दु में उल्लिखित कथन का निराकरण किया जाना प्रभाग स्तर से अपेक्षित नही है ।
2	प्रस्ताव में DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी किया गया DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–061/12–42–2 (जी0आई0एस0) लखनऊ दिनांक– 08.08.2022 द्वारा से DSS Analysis सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 66 पर संलग्न किया गया है ।
3	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत पारेषण लाइन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध है, जिसमें पुनः बौने (औषधीय) पौधों का वनीकरण किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। अतः उपरोक्त स्थल का सत्यापित कलर फोटोग्राफ संलग्न किया जाये।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रश्नगत ट्रान्समिशन लाईन के प्रारम्भिक बिन्दु, मध्य बिन्दु एवं अन्तिम बिन्दु का ए–4 साईज का कलर फोटोग्राफ्स प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 67 ए पर संलग्न किया गया है ।

4	प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज अवधि दिनांक 01.04.1972 से दिनांक 31.03.1997 तक का उल्लेख है। प्रथम लीज की प्रारम्भ तिथि 01.04.1972 किस आधार पर ली गयी है। इससे सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि 15.80 एकड़(6.394 हे0) प्रथम वार उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–4887(2)/14–2–794/72 दिनांक–02.09.1972 द्वारा 25 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 8 पर संलग्न है । उक्त आदेश के अनुसार लीज की अवधि दिनांक– 02.09.1972 से 01.09.1997 तक 25 वर्षो हेतु मानी गयी थी । किन्तु लीज के प्रथम नवीनीकरण संबंधित जारी आदेश संख्या–774/14–2–2000–749/72 दिनांक–02.03.2001 में लीज की अवधि दिनांक–01.04.1997 से 31.03.2022 तक अंकित किया गया है, जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–11–13 पर संलग्न किया गया है ।
5	हार्डकापी भाग–2 में प्रथम लीज अवधि दिनांक 09.08.1972 से दिनांक 08.08.1997 तक तथा द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से दिनांक 31.03.2022 तक का उल्लेख है। उपरोक्त से यह विदित होता है कि प्रथम लीज अवधि दिनांक 08.08.1997 को समाप्त होने से पूर्व ही द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से प्रारम्भ हो गयी। ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः इससे सम्बन्धित अभिलेख/साक्ष्य प्रस्ताव में संलग्न कर स्पष्ट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि 15.80 एकड़(6.394 हे0) प्रथम वार उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–4887(2)/14–2–794/72 दिनांक–02.09.1972 द्वारा 25 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 8 पर संलग्न है । उक्त आदेश के अनुसार लीज की अवधि दिनांक– 02.09.1972 से 01.09.1997 तक 25 वर्षो हेतु मानी गयी थी । किन्तु लीज के प्रथम नवीनीकरण संबंधित जारी आदेश संख्या–774/14–2–2000–749/72 दिनांक–02.03.2001 में लीज की अवधि दिनांक–01.04.1997 से 31.03.2022 तक अंकित किया गया है, जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–11–13 पर संलग्न किया गया है । उक्त आदेश उ0प्र0 शासन द्वारा निर्णय लेते हुए जारी किया गया है ।
6	प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट–2 संलग्न है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में संलग्न किये गये पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट–2 को प्रस्ताव से पृथक करा दिया गया है ।
7	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति का भाग–3 मूल में संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु में उल्लिखित कथन का निराकरण किया जाना प्रभाग स्तर से अपेक्षित नही है ।
8	वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में आशय स्पष्ट नहीं है। अतः स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रभाग स्तर से वन स्वरूप के रूप में चिन्हित किये गये क्षेत्रो में प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि को सम्मिलित नही किया गया है ।
9	हार्डकापी भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित विवरण आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विवरण का उल्लेख करते हुये पूर्ण हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित विवरण ऑन लाईन भाग–2 के क्रम संख्या– 13(i)(ii)(iii) मे अपलोड कराते हुए संबंधित अभिलेखो को चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव में यथा स्थान संलग्न किया गया है ।

	हार्डकापी भाग–2 में मूल लीज का आदेश सं0–4050/14–2–794/72, दिनांक 09.08.1997 तथा प्रस्ताव में संलग्न आदेश में उक्त दिनांक 02.09.1972 एवं 01.09.1972 अंकित कर ओवर राइटिंग की गयी है, जिससे आदेश जारी होने की तिथि भ्रामक है। अतः सही लीज का आदेश संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड किया जाये।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव के हार्डकापी भाग–2 को संशोधित कराते हुए प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 4 पर संलग्न कराते हुए ऑन लाईन भाग–2 मे अपलोड करा दिया गया है ।
	प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज का आदेश सं0–4887(2)/14–2–794/72, दिनांक 02.09.1972 का उल्लेख है, जबकि प्रस्ताव में इस आदेश सं0 का कोई आदेश संलग्न नहीं किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट कर संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में आदेश दिनांक– 02.09.1972 की प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 8 पर संलग्न करा दिया गया है ।
12	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–18 एवं 38 में भारत सरकार के आदेश सं0 का दिनांक 06.10.2002 अंकित है, जोकि गलत है। अतः सही दिनांक अंकित कर संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का डिलिट कर ऑनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 18 एवं 38 पर संलग्न अभिलेखो में भारत सरकार द्वारा जारी आदेश की सही तिथि दिनांक–06.10.2000 अंकित कराते हुए ऑनलाइन भाग –2 से पूर्व का प्रमाण पत्र हटाते हुए संशोधित प्रमाण–पत्र अपलोड करा दिया गया है ।
13	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण करने के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ तथा ऑनलाइन में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को डिलिट कर उपरोक्तानुसार संशोधित अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में उपरोक्तानुसार कमियो का निराकरण कराते हुए प्रस्ताव की 3 प्रतियॉ संलग्न किया जा रहा है ।
14	संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे उपरोक्त निराकरण कराने के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राईव मे अपलोड कराते हुए पेनड्राईव तीनो प्रस्तावो में अलग–अलग संलग्न करा दिया गया है ।

संलग्नकः–प्रस्ताव की 3 प्रति मूल में ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः श्री विवेक कुमार, हेड लीगल,मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट–सोनभद्र को उनके पत्र दिनांक–22.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त नवीनीकरण प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट